राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण सं0–अपील/डिक्री/टी.ए./2088/2004/दौसा

1. बद्री
2. सुवा

–पुत्रगण छाज्या जाति ब्राहमण निवासी लाका तहसील सिकराय जिला दौसा

.....**अपीलार्थीगण/वादीगण**

बनाम

हरीकिशन पुत्र सूरजमल जाति ब्राहमण निवासी बेराडा तहसील सिकराय जिला दौसा

.....**प्रत्यर्थी/प्रतिवादी**

खण्ड–पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थितः–

श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री हेमन्त सोगानी, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः– 12–07–2019

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील संख्या– 05/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–04–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर द्वितीय दौसा मुख्यालय सिकराय के समक्ष अपीलार्थीगण/वादीगण ने एक वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का ग्राम लांका तहसील सिकराय स्थित वाद पत्र में उल्लेखित आराजियात के संबंध में रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना जवाबदावा पेश कर वाद के कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज किए जाने का निवेदन किया। दावे व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने वाद में 5 विवाद्यक कायम करते हुए प्रत्येक विवाद्यक को विरचित कर आज्ञा दिनांक 26-11-2001 द्वारा स्वीकार करते वादीगण का वाद डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय इस आशय के साथ पारित किया गया कि वादीगण को आराजी खसरा संख्या 113, 114, 1255, 1256, 1307 1307, 1314, 1315, 1316, 1338 व 1309 का तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध हरीकिशन ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 27-04-2004 द्वारा स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण/वादीगण ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से आराजी पर उनका

कब्जाकाश्त स्पष्ट रूप से परिलक्षित था। रेकार्ड में उपलब्ध खतौनी सम्वत 2008 लगायत 2022 से स्पष्ट होता है कि भूमि छाज्या के नाम है, जो भूमि अविभाजित हिन्दू परिवार की भूमि नहीं है। उनका आगे कहना है कि छाज्या के देहान्त के बाद रामला का नाम रेकार्ड में गलत रूप से दर्ज हो गया। उनका तर्क है कि यदि आराजी पुश्तैनी होती तो रामला के साथ–साथ सूरजमल का नाम भी रेकार्ड में आता, लेकिन ऐसा अंकन नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि मूल वाद में विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 को तनकी संख्या 1 के आधार पर विवेचित किया है, जो कि विधि सम्मत है। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपास्ते किए जाने योग्य है। इसके विपरीत हस्तगत अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–04–2004 को खारिज करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26–11–2001 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय का आधार पर्चा खतौनी सम्वत 2008 से 2022 को माना है, जबकि वास्तविकता यह है कि विवादित आराजी पुश्तैनी भूमि है। इसी कारण सूरजमल व हरिकिशन का भी इसमें हिस्सा है। खतौनी संख्या 79 में छाज्या व श्योनारायण दोनों के नाम अलग–अलग खाते खुले हुए है। इससे स्पष्ट होता है कि आराजी पुश्तैनी है, क्योकि छाज्या, श्योनारायण का पुत्र है और जब भूमि में श्योनारायण का नाम अंकित है तो उसके वारिसान रामला, सूरजमल का भी उसमें हक व अधिकार है तथा केवल मात्र सुवा व बदरी का अकेले का हक नहीं हो सकता। यह तथ्य असत्य है कि छाज्या के देहान्त के बाद आराजी रामला के नाम आई। आगे बताया कि आराजी अविभाजित हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है तथा यदि ऐसा नहीं होता तो वादी द्वारा अन्य भूमियों के बाबत पेश वापस नहीं

लिया जाता। इसके अतिरिक्त भूमि छाज्या की स्वअर्जित होने बाबत वादीगण ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की। उनका आगे कथन है कि वादीगण ने अपने वाद बाबत दिए गए बयानों में आराजी का आवंटन होना कथित किया है, परन्तु आवंटन का कोई अभिलेख पेश नहीं किया है। उनका तर्क है कि मामले में निष्पादित वसीयत के गवाहों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। आगे बताया कि जब तक उक्त वसीयत को सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती देकर उसे निरस्त नहीं करवा दिया जाता, तब तक वसीयत को गलत नहीं ठहराया जा सकता। उनका यह भी तर्क है कि वसीयत का पंजीकृत होना प्रावधित नहीं है बल्कि उसको गवाहों से प्रमाणित करवाना आवश्यक है, जो कि हस्तगत प्रकरण में किया गया है। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में मामले में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि के परिप्रेक्ष्य में उचित होने के कारण उसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

6. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं परीक्षण किया।

7. मामले में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि वादग्रस्त आराजियात पैतृक सम्पत्ति है अथवा अपीलार्थीगण के पिता सुवा की स्वअर्जित भूमि? इस क्रम में उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार स्पष्ट है कि खतौनी संख्या 79 से स्पष्ट होता है कि भूमि पुश्तैनी है क्योंकि इसके अनुसार भूमि का खाता छाज्या व रामला के नाम अलग-अलग है। छाज्या, रामला दोनों सगे भाई है और श्योनारायण के पुत्र है। रेकार्ड के अनुसार विवादित भूमि छाज्या, रामला, सूरजमल के नाम ही अंकित होनी चाहिए थी। तर्क के लिए यदि आराजी केवल छाज्या के पिता स्वअर्जित भूमि होती तो उसमें रामला के नाम अंकन नहीं

होता। उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया आराजी वादीगण के पिता की स्वअर्जित भूमि नहीं होकर पैतृक सम्पत्ति होना अवधारित होता है। मूल वाद में विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 को वादी के पक्ष में केवल इस आधार पर निर्णित किया कि खतौनी सम्वत 2008 लगायत 2022 में छाज्या के नाम का खातेदारी इन्द्राज किए हुए है। विचारण न्यायालय ने उक्त तनकी को विरचित करते हुए भूमि वादीगण के पिता स्वअर्जित है या नहीं, इस बाबत किसी प्रकार का निष्कर्ष अंकित नहीं किया है। सारांशतः आराजी पैतृक सम्पत्ति सिद्ध होने की स्थिति में मृतक रामला ने अपने हिस्से की वसीयत प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित की है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 2 आराजी में हकदार हो गए। जैसा कि तनकी संख्या 1 में विवेचन किया हुआ है। उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार विवादित आराजी वादीगण के पिता की स्वअर्जित नहीं होने बाबत किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में रामला के द्वारा अपने हिस्से की भूमि की वसीयत प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित किए जाने को विधि विरूद्ध नहीं माना जा सकता। यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वसीयत को वसीयत लिखने वाले एवं दो गवाहों के द्वारा स्पष्टतया प्रमाणित करवाया गया है। इसके अतिरिक्त कालू पुत्र नानगा को वादीगण ने अपने वाद में पक्षकार संस्थित नहीं किया गया, जबकि कालू भी आराजी का सहखातेदार है। सांराशतः वादीगण के वाद को आज्ञा दिनांक 26-11-2001 द्वारा स्वीकार करते हुए उसे खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने को यह न्यायालय विधि विरूद्ध मानता है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानों के विपरीत पायी जाती है।

8. उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी हरिकिशन द्वारा पेश प्रथम अपील में उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर विधिवत परीक्षण कर न्यायालय ने प्रतिवादी की अपील को आक्षेपित निर्णय द्वारा स्वीकार करने के निष्कर्ष से यह न्यायालय सहमत है। हमारे समक्ष अपीलार्थीगण ने

आक्षेपित निर्णय के विरूद्ध कोई नवीन तथ्य हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किए है, जिसके आधार पर विधि सम्मत आक्षेपित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित हो। अतः हमारी विनम्र राय में हस्तगत द्वितीय अपील के माध्यम से अपीलार्थीगण/वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। फलस्वरूप यह द्वितीय अपील सारहीन होना पायी जाती है।

9. परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27-04-2004 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य